



जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, विदिशा

शाखा _____

उपभोक्ता ऋण आवेदन पत्र हेतु चेक लिस्ट

आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज			
1.	पहचान पत्र	हाँ ☐	नहीं ☐
2.	मूल निवासी प्रमाण-पत्र	हाँ ☐	नहीं ☐
3.	प्रमाणित फोटो	हाँ ☐	नहीं ☐
4.	विगत 3 माह के बैंक स्टेटमेंट	हाँ ☐	नहीं ☐
5.	नियोक्ता की सहमति अथवा अग्रिम चेक	हाँ ☐	नहीं ☐
6.	नियोक्ता के पक्ष में अथारिटी लेटर (धारा 42 का प्रारूप पर आवेदक)	हाँ ☐	नहीं ☐
7.	नियोक्ता कार्यालय से वेतन प्रमाण-पत्र	हाँ ☐	नहीं ☐
8.	जमानतदार की ऋण अदायगी हेतु	हाँ ☐	नहीं ☐
9.	आयकर रिटर्न की छायाप्रति (यदि लागू होतो)	हाँ ☐	नहीं ☐
10.	ऋण आवेदन फार्म शाखा प्रबंधक से राशि रु. 25/- बैंक में जमा कराये जाने के पश्चात् प्राप्त होगा। रु. 25/- में से रु. 10/- अंश पूंजी, रु. 10/- सदस्यता शुल्क तथा रु. 5/- आवेदन फार्म का शुल्क होगा।		

शाखा प्रबन्धक की टीप व अनुशंसा



जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, विदिशा

शाखा _____

उपभोक्ता ऋण आवेदन पत्र

आवेदक का व्यक्तिगत एवं नियोजन विवरण

नाम	सर्नेम	पहला नाम	मध्य नाम
आत्मज/आत्मजा/पत्नी			
वर्तमान रहवास का पता			
दूरभाष क्र.			
मोबाइल नं.			
जन्म तिथि	आयु	वर्ष	
लिंग	☐ पुरुष	☐ स्त्री	
वैवाहिक	☐ एकल	☐ विवाहित	अन्य
आश्रितों की संख्या	☐ बच्चे	☐ अन्य	
व्यवसाय	☐ सेवारत	☐ स्वयं का व्यवसाय	
धारित पद			
शैक्षणिक योग्यताएँ			
मासिक वेतन	रु.		
अन्य आय	रु.	स्रोत	
नियोक्ता/व्यवसाय			
नियोक्ता/व्यवसाय का नाम एवं पता	दूरभाष		
कार्यालय दूरभाष क्रमांक	फोन	फैक्स	
नियोजन/व्यवसाय की सेवा अवधि	वर्ष	सेवानिवृत्ति आयु	
विभाग			
कर्मचारी कोड संख्या			

आवेदित ऋण

राशि रु.	1. वस्तु का नाम _____
शब्दों में	2. मेक _____
अवधि वर्ष	3. मॉडल _____
अवधि वर्ष	4. वस्तु का मूल्य (कोटेशन संलग्न करें) _____
ई.एम.आई. राशि	5. डीलर/सप्लायर का नाम व पता _____

आवेदक का हस्ताक्षर युक्त फोटो	सह-आवेदक का हस्ताक्षर युक्त फोटो	कार्यालयीन उपयोग हेतु	
		दिनांक	
		फाईल नं.	
		हस्ताक्षर	

वित्तीय जानकारीयाँ

बचत, निवेश आदि विवरण आवेदक बैंक में बचत रु. अचल संपत्ति भविष्य निधि में स्वयं का अंश अन्य सम्पत्तियाँ 1. 2. जीवन बीमा पॉलिसी परिपक्वता दि.	गृहिता/प्रस्तावित ऋण- अन्य ऋण/प्रस्तावित ऋण जो नियोक्ता अथवा पी.एफ. से लिये गये, की देय ब्याज सहित मासिक किश्तों का विवरण			
	ऋण का स्रोत	राशि (रु.)	राशि (रु.)	अवधि (महिने)
	नियोक्ता			
	बैंक			
	अन्य			

बैंक का विवरण

खाता धारक का नाम	बैंक का नाम	शाखा का नाम	चालू/बचत खाता	खाता संख्या

संदर्भ (किन्हीं दो संदर्भितों के नाम एवं पते जो आपसे संबंधित हो)

बैंक द्वारा संदर्भित व्यक्तियों से जानकारी ली जा सकती है।	1	2
	फोन ऑ. नि.	फोन ऑ. नि.

सामान्य जानकारी (आवेदक के लिये)

1	क्या आपने/जीवनसाथी ने पहले कभी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में ऋण के लिये आवेदन दिया। ☐ हाँ ☐ नहीं यदि हाँ, अ. ऋण खाता संख्या ब. अन्य विवरण	3	अन्य सम्पत्ति जो बंधक रखना चाहते हों
2	क्या आपने/जीवनसाथी ने पहले कभी बैंक में अन्य हेतु ऋण की जमानत दी है? ☐ हाँ ☐ नहीं यदि हाँ, अ. ऋण खाता संख्या ब. ऋणी का नाम	4	ऋण किश्त देने हेतु उपयुक्त साधन का चयन करें। अ. मासिक किश्त का नियोक्ता के माध्यम से कटोत्रा ☐ ब. उत्तर दिनांकित चेक ☐ स. खाते से स्थाई निर्देश ☐ द. अन्य स्पष्ट करें

जमानतदार की जानकारी एवं सहमति पत्र	
जमानतदार का नाम एवं पता	
जन्म तिथि	
मतदाता परिचय पत्र संख्या	
व्यवसाय	
मासिक वेतन	
अन्य आय	
नियोक्ता/व्यवसाय	
चल/अचल सम्पत्ति का विवरण	

मैं _____ श्री/श्रीमती _____

जिन्होंने _____ कार्य के लिये जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, विदिशा से रुपये
 (शब्दों में _____) ऋण लेने हेतु आवेदन किया है कि जमानत देना
 स्वीकार करता हूँ। मैंने बैंक के ऋण नियम समझ लिये हैं तथा मुझे बंधनकारक है। इस प्रतिभूति बंध के अंतर्गत प्रतिभूति की गयी
 राशि रुपये (शब्दों में _____) को जिला सहकारी केन्द्रीय
 बैंक मर्यादित, विदिशा द्वारा मांग करने पर तत्काल भुगतान करने का दायित्व संयुक्त और/अथवा पृथक्-पृथक् रूप से मूल ऋणी
 और/अथवा मुझ पर होगा। ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा न करने की स्थिति में सम्पूर्ण ऋण राशि जमा करने का दायित्व मेरा होगा।

दिनांक:

जमानतदार के हस्ताक्षर
व पूरा नाम

आवेदक की घोषणा

मैं/हम घोषित करते हैं कि आवेदन पत्र में दी गयी यथोक्त जानकारी सत्य एवं सही है, जिसके आधार पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., विदिशा द्वारा मुझे/हमें ऋण देने का निर्णय लिया जा रहा है। मैं यह आश्वस्त करते हैं कि मेरे/हमारे विरुद्ध कोई भी इन्साल्वेंसी की कार्यवाही नहीं हुई थी और ना ही कोई कार्यवाही लंबित है और ना ही मैं/हम कभी इन्साल्वेंट घोषित हुए हैं। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., विदिशा द्वारा आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में संदर्भितों से आवश्यक होने पर जाँच पड़ताल की जा सकती है। मैं/हम यह भी स्वीकार करते हैं कि मेरे/हमारे व्यवसाय या नौकरी में यदि कोई परिवर्तन होता है और/या जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., विदिशा द्वारा कोई और जानकारी चाही जाती है तो मैं/हम यह सूचना/जानकारी बैंक को देंगे। मैं/हम हमारे नियोक्ता को मासिक समान किशतों की वेतन से प्रतिमाह कटौती कर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., विदिशा को भेजने के लिये अधिकृत करते हैं। मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, विदिशा द्वारा समय-समय पर ऋण नियमों में किये जाने वाले परिवर्तनों को भी स्वीकार करेंगे।

हस्ताक्षर ऋणी के

नाम _____

पता _____

दिनांक

साक्षी के हस्ताक्षर

नाम _____

पता _____

दिनांक

आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज

1. पहचान पत्र, 2. मूल निवासी प्रमाण-पत्र, 3. प्रमाणित फोटो, 4. विगत 3 माह के बैंक स्टेटमेंट, 5. नियोक्ता की सहमति अथवा अग्रिम चैक, 6. नियोक्ता के पक्ष में अथारिटी लेटर (धारा 42 का प्रारूप पर आवेदक), 7. नियोक्ता कार्यालय से वेतन प्रमाण-पत्र, 8. जमानतदार की ऋण अदायगी हेतु सहमति, 9. आयकर रिटर्न की छायाप्रति (यदि लागू हो तो), 10. ऋण आवेदन फार्म शाखा प्रबंधक से राशि रु. 25/- बैंक में जमा कराये जाने के पश्चात् प्राप्त होगा। रु. 25/- में से रु. 10/- अंश पूंजी, रु. 10/- सदस्यता शुल्क तथा रु. 5/- आवेदन फार्म का शुल्क होगा।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, विदिशा

उपभोक्ता ऋण

नियम एवं शर्त :-

उपभोक्ता वस्तुओं जैसे- टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, स्कूटर, कम्प्यूटर, कूलर, वाशिंग मशीन तथा फर्नीचर (मूल्य रु. 50,000/- तक) आदि के क्रय हेतु माध्यावधि ऋण संबंधी नीति।

1) ऋण हेतु अनुमोदित वस्तुएं :-

अ) इस योजना के अंतर्गत टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, स्कूटर, कूलर, वाशिंग मशीन तथा फर्नीचर आदि उपभोक्ता वस्तुओं के लिये ऋण प्रदाय किया जा सकेगा।

ब) ऋण केवल नई वस्तुओं के क्रय करने हेतु ही दिया जावेगा।

2) ऋण की पात्रता :-

अ) ऐसे व्यक्ति जो कि सविदा करने योग्य है अर्थात् अवयस्क, दिवालिया अथवा पागल न हों, इस ऋण हेतु पात्र होंगे।

ब) सरकारी (केन्द्र व राज्य), अर्द्धसरकारी, सरकारी संस्थानों, शिक्षा संस्थानों व अन्य प्रतिष्ठित एवं स्थापित उद्योगों के कर्मचारी आदि ऋण प्राप्ति के योग्य होंगे। उपरोक्त के अलावा व्यवसाय व पेश करने वाले व्यक्ति जैसे-डॉक्टर, सी.ए., व्यवसायी आदि भी ऋण प्राप्ति के योग्य होंगे।

स) आवेदक एवं जमानतदार को बैंक का खाताधारी होना आवश्यक है।

द) आवेदक को कम से कम 3 माह की अवधि तक Saving Bank Account संचालित करना अनिवार्य होगा।

3) ऋणी का रोजगार या निवास का क्षेत्र (Area of employment) :- आवेदक इस शाखा के क्षेत्राधिकार में निवास करने वाला या किसी कार्यालय का कर्मचारी या अन्य रूप से कोई कार्य करने वाला व्यक्ति होना चाहिये जिसमें उसने ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन दिया है।

4) आवेदन :- आवेदक को ऋण पत्र के साथ Proforma Invoice जो कि किसी अधिकृत डीलर/सहकारी सुपर बाजार (जो कि संबंधित ऋण योजना के अंतर्गत बैंक नियमों के अनुसार अधिकृत हो) आदि से प्राप्त किया हो, को भी संबंधित शाखा में जमा कराना चाहिए।

5) ऋण की सीमा एवं भुगतान :-

अ) ऋण की राशि निम्न में से जो भी न्यूनतम होगा, से अधिक नहीं होगी -

- अधिकतम 50,000/- रुपये।
- क्रय की जा रही वस्तु के मूल्य का 75 प्रतिशत।
- आवेदक की सकल मासिक वेतन का 6 गुना।

ब) आवेदक को क्रय की जा रही वस्तु के मूल्य का 25 प्रतिशत या बैंक द्वारा दिये जा रहे ऋण व वस्तु के मूल्य के अंतर के बराबर राशि में अपने खाते में जमा करना अनिवार्य होगी।

स) बैंक द्वारा Pay order Banker's cheque crossed Account payee cheque के माध्यम से वस्तु के मूल्य का भुगतान संबंधित Supplier को किया जावेगा।

द) ऋण से क्रय की गई वस्तु/वाहन का मूल का बीजक/बिल तथा ड्राफ्ट/बैंक की पावती हितग्राही संबंधित शाखा में जमा कराई जावेगी जो ऋण फाइल में संलग्न की जावेगी।

6) ऋण की अवधि एवं पुर्नभुगतान कार्यक्रम :-

अ) ऋण अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया जावेगा। यदि शाखा प्रबंधक द्वारा स्व-विवेक से उपयुक्त समझा जाता है तो ऋण की अवधि उनके द्वारा घटाई जा सकती है।

ब) वैतनिक कर्मचारियों की दशा में, उसकी सकल मासिक आय में से समस्त कटौतियां व ऋण की किश्त घटाने के पश्चात् Carry Home Pay सकल आय के 33.33 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये।

स) ऋण के पुर्नभुगतान के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखा जायेगा -

- ऋण का पुर्नभुगतान, ऋण दिये गये महीने के तुरंत बाद वाले महीने से शुरू होगा।
- किश्त का भुगतान प्रत्येक माह की 10 तारीख तक (Due Date) अनिवार्य रूप से किया जावेगा।
- किश्त का भुगतान निर्धारित समय पर न करने पर किश्त Over Due होने की तिथि से भुगतान की तिथि तक 2 प्रतिशत की दर से Penal Interest लगाया जावेगा।
- यदि किश्त का भुगतान निर्धारित समय या उससे पूर्व नहीं किया जाता है तो बैंक द्वारा ऋणी व गारंटी कर्ता को Reminder भेजा जायेगा।
- यदि ऋणी द्वारा किश्त भुगतान हेतु दिया गया Cheque अनादरित होता है तो बैंक द्वारा ऋणी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

- ऋण योजना के नियमों के अनुसार बैंक को यह अधिकार होगा कि यदि ऋणी द्वारा किश्तों के भुगतान में लापरवाही बरती जा रही है या लगातार किश्तों का भुगतान नहीं किया जाता है तो शाखा ऋणी व गारंटीकर्ता को **Notice** भेजकर समस्त (ब्याज सहित) को एक साथ जमा करने के लिये कह सकती है।
 - यदि उपरोक्त निर्गमित किये गये Notice का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता है तो शाखा इस ऋण खाते को (Legal Action) हेतु मुख्यालय के विधि विभाग को भेज सकेगी, जिसके माध्यम से ऋणी के विरुद्ध वसूली हेतु कार्यवाही की जावेगी।
- द) पुर्नभुगतान क्षमता के आंकलन के अंतर्गत ऋण के मासिक वेतन व परिलब्धियों के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए।
- 7) ऋण की ब्याज दर व खाते में पर्याप्त राशि रखने संबंधी :-
- अ) ऋण पर बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज दर प्रभावित की जावेगी।
 - ब) ऋणी द्वारा शाखा स्थित अपने खाते में कम से कम एक मासिक किश्त के बराबर की राशि मासिक ब्याज की राशि व बीमे के प्रीमियम के बराबर अनिवार्य रूप से रखी जाना होगी। वैतनिक कर्मचारियों का वेतन शाखा में स्थित बचत खाते में जमा होना चाहिये। तीन माह तक वेतन जमा होने के बाद ही ऋण प्रकरण पर विचार किया जावेगा।
 - स) कालातीत किश्त का भुगतान तिथि तक 2 प्रतिशत वार्षिक दर से दण्ड ब्याज वसूल किया जावेगा।
- 8) ऋण की प्रतिभूति :-
- अ) स्वीकृति ऋण से क्रय की गई वस्तु का हायपोथिकेशन निर्धारित प्रारूप में कराया जावेगा।
 - ब) Collateral Security की Face Value कम से कम Loan Amount के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिये। ऋणी द्वारा एक व्यक्ति, जो कि बैंक को मान्य हो, की गारंटी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जावेगी। जमानतदार की आय के स्रोत मसलन एक IT Return या Pay Slip की संपूर्ण जानकारी ली जाये। जमानतदार के नवीनतम फोटोग्राफ गारंटी डीड पर चिपका कर शाखा प्रबंधक द्वारा उसे अभिप्रमाणित किया जावे। ऋणी द्वारा कोलेटरल सिक्यूरिटी के रूप में राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, सावधि जमा रसीद, अचल सम्पत्ति के बंधक आदि प्रस्तुत किये जाने पर गारंटर की शर्त को विलोपित करने का अधिकार मुख्यालय के शाखा प्रबंधक की अनुशंसा पर होगा।
 - स) वैतनिक कर्मचारी की दशा में आवेदक से लेटर ऑफ अथारिटी तथा नियोक्ता से सहमति पत्र अथवा ऋण की कुल किश्तों के अग्रिम चैक प्राप्त किये जावें।
- 9) बीमा :- ऋण से क्रय की गई वस्तु का Comprehensive बीमा ऋणी एवं बैंक के संयुक्त नाम से कराया जावेगा, जिसमें चोरी, संधमारी, बाढ़, भूकम्प आदि समस्त जोखिमें शामिल होगी। ऋणी द्वारा प्रीमियम भुगतान न करने पर प्रीमियम राशि का भुगतान बैंक द्वारा ऋणी के बैंक में खोले गया Saving Account के माध्यम से किया जावेगा। बीमा पॉलिसी की मूल प्रति बैंक के आधिपत्य में रखी जावेगी अथवा ऋण राशि को नामे कर बीमा की किश्त का भुगतान किया जावेगा।
- 10) वाहन का पंजीयन :-
- अ) दुपहिया वाहन क्रय करने हेतु ऋण प्रदाय की दशा में RTO के पास वाहन का संयुक्त पंजीयन कराया जाकर बैंक का प्रभार अंकित कराया जावेगा।
 - ब) ऋणी के RTO फार्म नंबर 29 एवं 30 निष्पादित कराकर बैंक रिकार्ड में रखा जावे।
- 11) ऋण एवं ब्याज की वसूली :- ऋण की वसूली अधिकतम 36 समान किश्तों की जावेगी। किश्तों का निर्धारण इक्वेटेड इंस्टालमेंट पद्धति से किया जावेगा। उक्त ऋण पर ब्याज की गणना मासिक आधार पर की जावेगी।
- 12) दस्तावेजों :-

क्र.	वैतनिक हितग्राही से	क्र.	अवैतनिक हितग्राही से
1	आवेदन पत्र	1	आवेदन पत्र
2	मांग वचन पत्र	2	मांग वचन पत्र
3	गारंटीदाता का करार	3	गारंटीदाता का करार
4	ऋणी व जमानतदार द्वारा हस्ताक्षरित स्वीकृति पत्र	4	ऋणी व जमानतदार द्वारा हस्ताक्षरित स्वीकृति पत्र
5	हायपोथिकेशन डीड	5	हायपोथिकेशन डीड
6	लेटर ऑफ अथारिटी	6	अग्रिम चेक
	नियोक्ता की सहमति अथवा अग्रिम चेक		Latest जमा Tax Return किये गये की कॉपी या
	वेतन प्रमाण पत्र प्रारूप		पिछले 2 या 3 सालों के assessment order की कॉपी
	Latest जमा Income Tax Return		
	किये गये की कॉपी		
7	Delivery Note की कॉपी	7	Delivery Note की कॉपी
8	Proforma Invoice जो कि Supplier से प्राप्त किया हो	8	Proforma Invoice जो कि Supplier से प्राप्त किया हो
9	बिल भुगतान के receipt की कॉपी	9	बिल भुगतान के receipt की कॉपी
10	Insurance Policy	10	Insurance Policy
11	आवेदन पत्र पर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो /	11	आवेदन पत्र पर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो /
	जमानतदार का लेटेस्ट रंगीन फोटो		जमानतदार का लेटेस्ट रंगीन फोटो

- 13) ऋणी स्वीकृति का अधिकार :- योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृति करने का अधिकार शाखा प्रबंधक की अनुशंसा पर होगा। शाखा द्वारा हितग्राही को विस्तृत स्वीकृति पत्र, जिसमें योजना के सम्पूर्ण नियम एवं शर्तें समाहित हो, जारी किया जावेगा।
- 14) नियम में परिवर्तन :- उपरोक्त नियमों में आवश्यक संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित होगा, जो ऋण लेने वाले व्यक्ति को मान्य होगा।
- 15) प्रक्रिया निर्देश :-
- अ) यद्यपि ऋण की अधिकतम सीमा रु. 50,000/- है तथापि स्वीकृत की जाने वाली राशि ऋणी की पुर्नभुगतान क्षमता से अधिक न हो।
 - ब) पुर्नभुगतान क्षमता के आंकलन के अंतर्गत वेतन से मासिक कटौती की राशि एवं ऋण की मासिक किश्त वेतन की मासिक परिलब्धियों के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए।
 - स) यदि ऋणी अवैतनिक है तो उससे कॉलेटरल प्रतिभूति अनिवार्य रूप से ली जावे। यदि कोलेटरल प्रतिभूति अचल सम्पत्ति है तो उसका साम्यिक बंधक निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जावे।
 - द) वेतन भोगी ऋणी के प्रकरणों में नियोक्ता की अंडरटेकिंग/सहमति का सत्यापन कराया जावे कि जारीकर्ता कार्यालय प्रमुख/आहरण एवं संवितरण अधिकारी (Drawing Disbursing Officer) ही है।
 - इ) अवैतनिक ऋणी के संदर्भ में पुर्नभुगतान क्षमता का आंकलन आयकर विवरणी के आधार पर किया जावे। ऋण राशि पिछले 3 वर्ष की औसत सकल आय के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं। अधिकतम रुपये 50,000/- ही स्वीकृत किये जा सकेंगे।
 - ई) क्रय की गई सामग्री का बिल दुपहिया वाहन प्रकरणों में बिल के साथ Registration एवं Insurance paper in original with Bank clause एवं पूर्ण पैसे प्राप्ति की पावती शाखा सुनिश्चित करें कि Borrower शाखा के पास जमा करायें।
 - ए) निर्धारित स्वीकृति पत्र दो प्रतियों में जारी किया जाकर द्वितीय प्रति ऋणी एवं जमानतदार से हस्ताक्षरित होकर प्राप्त की जावे। उसके बाद ही आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन कराया जाकर ऋण वितरण किया जावे।
 - ऐ) ऋण प्रकरण में प्रस्तुत कोटेशन रजिस्टर्ड फर्म के होना चाहिये जिस पर Vat Tax नम्बर एवं पंजीयन क्रमांक अंकित हो।